भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI सं. 148
आरबीई सं. 175/2009

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/सीपीसी/एलई-10 **नई दिल्ली, दिनांक 24 .09.2009**

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: रेलवे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों, लाइब्रेरियनों, प्रयोगशाला सहायकों और वॉटरमैन को अर्द्ध वेतन छुट्टी की सुविधाओं के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना-स्पष्टीकरण।

*****

इस मंत्रालय के दिनांक 06.03.2009 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, इस पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों को लागू करते समय होने वाली आशंकाओं/मुद्दों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:-

क्र.सं.	मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	क्या स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों, लाइब्रेरियनों, प्रयोगशाला सहायकों और वॉटरमैन को आधे औसत वेतन (एलएचएपी) पर 20 दिन की छुट्टी की सुविधा 10 दिन के औसत वेतन अवकाश के बदले दी गई है ?	यह सुविधा उन्हें पहले स्वीकार्य 10 दिन के औसत वेतन अवकाश के बदले दी गई है। अत: 01.09.2008 से 31.12.2008 तक की अवधि के लिए, सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 5/3 दिन की दर जिसे 7 दिन के लिए पूर्ण किया जाएगा, पर परिकलित आधे औसत वेतन पर छुट्टी क्रेडिट की जाए। 01.01.2009 से, आधे औसत वेतन पर 10 दिन की छुट्टी प्रति वर्ष एक जनवरी तथा एक जुलाई को अग्रिम रूप से क्रेडिट की जाएगी जैसा कि अन्य कोटियों के रेलवे कर्मचारियों के मामले में होता है। 31.08.2008 तक वर्ष की भंग अवधि के लिए समानुपात औसत वेतन अवकाश की सेवा के प्रत्येक पूरे महीने के लिए 5/6 दिन की दर पर अनुमति दी जाएगी।

क्रमश:

2.	01.09.2008 को कर्मचारी के छुट्टी खाते में बकाया औसत वेतन अवकाश की नियति	01.09.2008 को इन कर्मचारियों के खाते में बकाया औसत वेतन अवकाश को उनके छुट्टी के लेखे में रखा जाएगा तथा नकदीकरण के प्रयोजन के लिए भी औसत वेतन अवकाश के रूप में प्रदान किया जाएगा जो भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-I, 1985 संस्करण के नियम 541, 549 तथा 550 के प्रावधानों के अनुसार इन कोटियों के लिए स्वतः स्वीकार्य है जैसा कि अन्य रेलवे कर्मचारियों को स्वीकार्य है बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो।
3.	यदि किसी कर्मचारी ने आधे औसत वेतन पर छुट्टी बहाल करने के आदेश जारी होने से पहले एक जुलाई 2008 को अपने लेखे में क्रेडिट औसत वेतन अवकाश का लाभ पहले ही उठा लिया हो तो ऐसी छुट्टी किस प्रकार समायोजित की जाएगी ?	आधे वेतन पर छुट्टी बहाल करने के दिनांक 06.03.2009 के आदेश जारी होने से पहले लिए गए औसत वेतन अवकाश को औसत वेतन अवकाश के रूप में माना जाएगा।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(धर्म पाल)
उप निदेशक स्था.(पी एंड ए)II
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/सीपीसी/एलई-10 **नई दिल्ली, दिनांक 24.09.2009**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

क्रमशः

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**)

****

PC-VI No.148
RBE No.175/2009

No.E(P&A)I-2008/CPC/LE-10

New Delhi, dt.24.09.2009

The General Managers,
All Indian Railways/PUs

Sub: Implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission regarding half pay leave facilities to Teachers, Principals, Headmasters, Librarians, Laboratory Assistants and Watermen working in Railway schools –clarification regarding.

******

In continuation of this Ministry's letter of even number dated 6.3.2009, the doubts/points which may arise while implementing the instructions contained in the above referred letter are clarified as under:-

S.No.	Point	Clarification
1.	Whether the facility of 20 days leave on half average pay (LHAP) has been given to teachers, Principals, Headmasters, Librarians, Laboratory Assistants and Watermen working in Schools in lieu of 10 days leave on average pay(LAP) ?	This facility has been given in lieu of the 10 days LAP admissible to them earlier. Hence for the period from 1.9.2008 to 31.12.2008, leave on half average pay calculated at the rate of 5/3 days for each completed month of service rounded off to 7 days may be credited. From 1.1.2009 onwards, 10 days LHAP shall be credited in advance on the Ist January and Ist July each year as in the case of other categories of railway employees. Proportionate LAP for the broken period of the year upto 31.8.2008 may be allowed at the rate 5/6 days for each completed month of service.
2.	The fate of LAP standing to the credit of the employee as on 1.9.2008	The LAP standing at the credit of these employees as on 1.9.2008, shall be kept in their leave account and may be granted as LAP as also for the purpose of encashment

		which is admissible to these categories suo moto in accordance with the provisions of Rules 541, 549 & 550 of IREC Vol.I, 1985 Edition as admissible to other railway servants subject to fulfilment of the prescribed conditions.
3.	In case any employee who has already availed LAP credited to his/her leave account on Ist July 2008 before the orders of restoration of LHAP have been issued, how such leave will be adjusted.	The LAP availed before the order dated 6.3.2009 of restoration of half pay leave was issued, shall be treated as LAP.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Dharam Pal

(Dharam Pal)
Deputy Director Estt.(P&A)II,
Railway Board.

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 **New Delhi dated 24 .09.2009**

Copy to:

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi(with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 **New Delhi dated 24 .09.2009**

Copy to the FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.

Dharam Pal

(Dharam Pal)
Deputy Director Estt.(P&A)II,
Railway Board.

.....3/-